तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.47/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
13.4.2023	पत्रावली पेश हुई। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी कल्पेश परमार पुत्र श्री कालुराम परमार, जाति–घांची, निवासी–घांची वाडा, पिण्डवाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म के एन किराणा स्टोर, पुलिस थाना के सामने, पिण्डवाडा, जिला–सिरोही अनुपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा (हाल निलम्बित) द्वारा दिनांक 02.2.2022 को फर्म के एन किराणा स्टोर, पुलिस थाना के सामने, पिण्डवाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी कल्पेश परमार से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ enteresterified vegitable fat (राज मधुर ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-1643 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./393/Act/2022/369 दिनांक 17.2.2022 में अमानक (sub-standard) व मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 व 52 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 10.4.2023 को प्रतिवादी कल्पेश परमार ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर प्रतिवादी को दिनांक 10.4.2023 को ही सुना गया, जिसने अनुरोध किया कि उसने enteresterified vegitable fat (राज मधुर ब्राण्ड) को दूसरी फर्म से खरीद किया था जिसका बिल कहीं गुम हो गया है। उसने enteresterified vegitable fat (राज मधुर ब्राण्ड) में कोई मिलावट नही की है व न ही पैकिंग लेबल से कोई छेडछाड की है। enteresterified vegitable fat (राज मधुर ब्राण्ड) के 200 एम.एल. के पैक्ड कंटेनर को पैकिंग अवस्था में ही क्रय किया था व पैकिंग अवस्था में विक्रय किया है। मिथ्याछाप व अमानक enteresterified vegitable fat (राज मधुर ब्राण्ड) हेतु निर्माता फर्म जिम्मेदार है। वह enteresterified vegitable fat (राज मधुर ब्राण्ड) को पूजा बत्ती करने के उपयोग के लिये लोगों को बेचता है। यह उसकी प्रथम गलती है, भविष्य में ऐसी गलती नही करेगा अतः कम से कम जुर्माना किया जावे। हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं उपलब्ध पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तो यह पाया कि ... तत्कालीन खाद्य ....लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:21:09 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.47/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए

सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) दिनांक 02.2.2022 को समय 1.15 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म के एन किराणा स्टोर, पुलिस थाना के सामने, पिण्डवाडा, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से प्रतिवादी कल्पेश परमार पुत्र श्री कालुराम परमार, जाति–घांची, निवासी– घांची वाडा, पिण्डवाडा, जिला– सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ enteresterified vegitable fat (राज मधुर ब्राण्ड) का विक्रय करता है। श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) द्वारा निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ enteresterified vegitable fat (राज मधुर ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना मौके पर उपस्थित गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकरी, सिरोही के समक्ष प्रपत्र 5ए में विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता कल्पेश परमार को भरकर दी व रसीद प्राप्त की। श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) ने दुकान के अन्दर आलमारी की रैक आम जन के बिक्री हेतु मौजूद खाद्य पदार्थ enteresterified vegitable fat (राज मधुर ब्राण्ड) के 12 पैक्ड कंटेनर (प्रत्येक 200 एम.एल.) में से enteresterified vegitable fat (राज मधुर ब्राण्ड) के 4 पैक्ड कंटेनर (प्रत्येक 200 एम.एल.) को वास्ते नमूना जांच क्रय किये एवं उसकी कीमत राशि रुपये 640– (अक्षरे रुपये छः सौ चालीस मात्र) प्रतिवादी कल्पेश परमार को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-1643, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ enteresterified vegitable fat (राज मधुर ब्राण्ड) का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) ने हस्ताक्षर किये और खाद्य पदार्थ enteresterified vegitable fat (राज मधुर ब्राण्ड) के चारों नमूना पैकेटों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1643 को नियमानुसार गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार सील चपडी किया व प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये व श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना [illegible] तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) [illegible]/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार [illegible] श्री विनोद [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:21:09 IST
Reason: SelfAttested

प्रति. जिला प्रकिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.47/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
	कुंमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) के हस्ताक्षर किये हुए है। तत्पश्चात् श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) ने दिनांक 03.2.2022 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री प्रवीण कुमार, वा्र्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 02.2.2022 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) द्वारा फर्म के एन किराणा स्टोर, पुलिस थाना के सामने, पिण्डवाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता कल्पेश परमार से खाद्य पदार्थ enteresterified vegitable fat (राज मधुर ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ enteresterified vegitable fat (राज मधुर ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1643 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./393/Act/2020/369 दिनांक 17.2.2022 के अनुसार खाद्य पदार्थ enteresterified vegitable fat (राज मधुर ब्राण्ड) का नमूना अमानक व मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया। प्रकरण में, यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण की अनुसंधान के दौरान प्रतिवादी कल्पेश कुमार द्वारा तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा को खाद्य पदार्थ enteresterified vegitable fat (राज़ मधुर ब्राण्ड) के क्रय का बिल प्रस्तुत नही किया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि कल्पेश परमार पुत्र श्री कालुराम परमार, जाति– घांची, नि[illegible] जिला–सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फ[illegible] किराणा स्टोर, पुलिस थाना के सामने, पि[illegible] (sub-standard) व [illegible] (Mis[illegible]ded) खाद्य पदार्थ enteresterified vegitable fat (रा[illegible] मधुर ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनिय[illegible] 2006 की धारा 26 की .....लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:21:09 IST
Reason: SelfAttested

मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.47/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
	उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 व 52 के तहत अमानक (sub-standard) मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ sub-standard) के विक्रय हेतु प्रतिवादी कल्पेश परमार पुत्र श्री कालुराम परमार, जाति–घांची, निवासी– घांची वाडा, पिण्डवाडा, जिला–सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म के एन किराणा स्टोर, पुलिस थाना के सामने, पिण्डवाडा, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 5,000/– (अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी कल्पेश परमार को आदेशित किया जाता है कि उस पर आरोपित शास्ति (जुर्माना) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन में जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो तथा वास्ते जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 17.5.2023 को पेश हो। (के.आर.खौड़) अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही–307001.	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:21:09 IST
Reason: SelfAttested